SCP

महत्वपूर्ण

संख्या 4488/छब्बीस–1–1980

प्रेषक,

राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 1980।

विषय :—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन एवं उनकी प्रगति का अनुश्रवण।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–1

1—उत्तर प्रदेश में जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की संख्या समस्त भारतवर्ष में सबसे अधिक है और देश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की लगभग 25 प्रतिशत है। इतनी बड़ी जनसंख्या सदियों से निम्न स्तर व गरीबी का जीवन व्यतीत करती रही है और इसका एक बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे है। वर्णित परिस्थितियों में भारतवर्ष की प्रधान मंत्री ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया जाये।

2—उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों का वर्ष 1980–81 के लिये एक विशेष कम्पोनेन्ट प्लान बनाया गया है। इस योजना का आधार है कि हालांकि सार्वजनिक हित की बड़ी योजनायें, उदाहरणार्थ, वृहत् सिंचाई योजनायें, भारी एवं मध्यम उद्योग, पुल इत्यादि को तो विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न विभागों के परिव्यय में से ऐसी योजनाओं का जिनको विभाजित किया जा सकता है, उनमें से पर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी है, जिससे इन पिछड़ी जातियों का शैक्षिक, सामाजिक और विशेष रूप से आर्थिक स्तर से ऊंचा हो और वर्ष 1980–81 में कम से कम प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति के 10 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर आ जायें।

3—इस विशेष कम्पोनेन्ट प्लान का मंडलवार व जिलेवार फांट विभिन्न विभागाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय एवं जिला स्तर के अधिकारियों को कार्यान्वयन हेतु सूचित करने हेतु निर्दिष्ट कर दिया गया है। मंडल स्तर पर डिवीजनल प्लानिंग कमेटी में मंडलायुक्त इस विशेष कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन व अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जिसमें उनके अतिरिक्त विभिन्न विकास विभागों के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्लान इम्पलीमेन्टेशन कमेटी के द्वारा इस प्लान की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह हो जाये। इस पत्र के साथ एक प्रारूप संलग्न-1 भेजा जा रहा है, जिसमें हर महीने जिला स्तर पर समस्त विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उनके विभाग द्वारा लाभान्वित हरिजन परिवारों की संख्या, भौतिक प्रगति तथा व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा अगले माह के 10 तारीख तक जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे। इस सूचना के संकलन तथा परीक्षण एवं विभिन्न विभागों द्वारा कम्पोनेन्ट प्लान की स्कीमों के कार्यान्वयन के अनुसरण के लिए शासन ने एक पद अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का प्रत्येक जिले में सृजित किया है। यह अधिकारी उ0प्र0 अनु0 जाति वि0 वि0 नि0 का पदेन जिला प्रबन्धक भी होगा तथा हरिजन परिवारों को संस्थागत वित्त अनुदान तथा मार्जिन मनी की सहायता पहुंचाने के लिये जिम्मेदार होगा।

4—अनुसूचित जाति के आर्थिक कार्यक्रमों को तेज तथा प्रभावशाली ढंग से चलाने और उन व्यक्तियों को सरलता से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर भी निगम की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाये। जिला स्तर पर निगम के कार्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) निगम का पदेन जिला प्रबन्धक भी होगा, जो निगम द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा। एक-एक सहायक प्रबन्धक (अन्वेषक) लेखाकार, नैत्यिक लिपिक, आशुलिपिक तथा चपरासी की सुविधा दी जा रही है। निगम के जिला प्रबन्धक को बैंकों से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऋण प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कराकर, मार्जिन-मनी ऋण एवं अनुमन्य अनुदान स्वीकृत तथा वितरण करने के लिये प्राधिकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा वर्ष 1980–81 के लिये 32,647 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1445 लाख रुपये की ऋण के रूप में आर्थिक सहायता का कार्यक्रम संस्थागत वित्त के सहयोग से तैयार किया है ताकि उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण, मार्जिन मनी मिलने में सुविधा हो। इसके संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने आपको पूर्व ही अवगत करा दिया है।

5—शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि निगम के कार्यों को तेजी से चलाने के लिये तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सही ढंग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर के विकास विभागों जैसे ग्राम्य विकास, कृषि, उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, सहकारिता तथा पंचायत राज एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग निगम को प्राप्त हो। अतः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निगम के जिला प्रबन्धक द्वारा विभिन्न आर्थिक योजनाओं जैसे दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, सूअरपालन, बकरी पालन, हथकरघा बुनाई, जूता निर्माण, लान्ड्री, कुटीर

एवं लघु उद्योग, व्यापार, परचूनी, दुकान तथा अन्य योजनाओं जो लाभयुक्त हों, के लिये चयन किया जाना तथा उनके प्रार्थना पत्रों का संकलन एवं भरना, बैंकों से ऋण स्वीकृत कराना और मार्जिन मनी हेतु निगम के जिला प्रबन्धक के कार्यालय में स्वीकृति हेतु भेजना तथा अनुदान वितरण करवाना तथा उनकी तकनीकी सहायता तथा मार्ग दर्शन करना होगा। परिवारों के चयन में और उनके आर्थिक स्तर के निर्धारण के लिये लेखपाल, पंचायत सेवक एवं ग्राम सेवक द्वारा समन्वित रूप से चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराना आवश्यक होगा, जिसकी ओर जिला मजिस्ट्रेट को विशेष ध्यान देना अपेक्षित है।

6—यह भी अनुभव किया गया है कि अभी तक राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा अनसूचित जाति के व्यक्तियों तथा अन्य गरीब सम्पत्तिहीन व्यक्तियों को पर्याप्त ऋण प्राप्त होने में सुविधा नहीं मिली है और बैंकों से समुचित योगदान भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उचित यह होगा कि जिले में अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों का चयन कर चयनित विकास क्षेत्र में निगम की योजनाओं से क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाय। ऐसा करने से लाभार्थियों को ग्रुप गारन्टी देकर बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी और बैंक तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के कम प्रयास से अधिक कार्य सम्भव हो सकेगा। चयनित क्षेत्र के लाभान्वित परिवारों के आर्थिक विकास को विशेष रूप से मानीटर किया जावे। जिले में स्थित बैंकों के ब्रान्च मैनेजरों के सहयोग से इस ओर विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

7—निदेशक, संस्थागत वित्त ने इस सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने व ऋण स्वीकृत कराने हेतु अनुरोध किया है, ताकि उपरोक्त कार्यक्रम कार्यान्वित हो सके। उचित होगा कि बैंकों को और अधिक ऋण वितरण के लिये प्रोत्साहित किया जाए। शासन के सामने यह बात आई है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैंकों में बार-बार जाने पर भी उनके प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण और ऋण स्वीकृत करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। बैंक अचल सम्पत्ति तथा धनी व्यक्तियों की जमानत मांगते हैं। यह सर्वविदित है कि अधिकांश अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पास अचल सम्पत्ति नहीं होती और न ही वह धनी व्यक्तियों की जमानत देने में समर्थ होते हैं। अतः आप इस सम्बन्ध में अपने जनपद के शाखा प्रबन्धकों से शासन तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण दिलाने में प्रभावी कदम उठायें और जिला संस्थागत वित्त परामर्श समिति में विशेष रूप से निगम द्वारा घोषित योजनाओं से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण तथा ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करें।

8—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 वर्तमान में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि एवं बागवानी के लिये अनुदान तथा निर्धारित उद्योग धन्धों के लिये मार्जिन मनी ऋण देता है अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण की योजनाओं को सम्बद्ध कर दिया जाय और उनका क्षेत्रीय विकास विभाग की आई0 आर0 डी0 योजनाओं के साथ समन्वय किया जाय। संक्षेप में कार्यविधि निम्न प्रकार होगी :—

(क) प्रदेश के आई0 आर0 डी0 विकास खंडों में पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त उस सीमा तक लाभार्थी को मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा देय होगा जिससे प्रार्थी लाभार्थी को उसकी योजना की कुल लागत का केवल 50 प्रतिशत ही भाग ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त करना होगा।

(ख) जिन क्षेत्रों में आई0 आर0 डी0 योजना लागू नहीं है वहां निगम आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत अनुमन्य योजनाओं के लिये पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उसी प्रकार अनुदान देगा जिस प्रकार आई0 आर0 डी0 योजना वाले विकास खंडों में दिया जाता है, जो योजना की लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 3,000 रु0 होगा। इसके अतिरिक्त निगम लाभार्थी को उसकी योजना की लागत का 25 प्रतिशत से 33 1/3 प्रतिशत तक मार्जिन मनी ऋण देगा। जिससे लाभार्थी को उसकी योजना की लागत का केवल से 50 प्रतिशत ही ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त करना होगा।

9—जिला स्तर पर निगम के कार्यक्रमों तथा उनके लिये अन्य विभागों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिये जिले में एक समिति का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

(क)	जिला मजिस्ट्रेट ..	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी	सदस्य
(ग)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना) ..	सदस्य
(घ)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजि0) ..	सदस्य
(ङ)	जिला कृषि अधिकारी ..	सदस्य
(च)	जिला सहायक निबन्धक (सहकारी समितियां) ..	सदस्य
(छ)	जिला पशुधन अधिकारी ..	सदस्य
(ज)	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ..	सदस्य
(झ)	जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र ..	सदस्य
(ट)	लीड बैंक के शाखा प्रबन्धक (प्रधान शाखा) ..	सदस्य
(ठ)	प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के एक शाखा प्रबन्धक (समिति द्वारा नामित) ..	सदस्य
(ड)	जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबन्धक ..	सदस्य
(ढ)	अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (ह0 कल्याण) पदेन जिला प्रबन्धक निगम	सदस्य सचिव

यह समिति योजना की प्रगति की समीक्षा तथा बैंकों और विभिन्न विभागों से तालमेल संबंधी समस्याओं का
निवारण किया करेगी। क्षेत्र विकास में हरिजन कल्याण की आर्थिक योजनाओं के निर्धारण करने में भी यह समिति
अपना अमूल्य योगदान देगी।

10---जिलाधिकारी यह सूचित करेंगे कि उनके अधीनस्थ जिला तथा खंड स्तर पर विभिन्न अधिकारियों, कर्म-
चारियों और एजेंसियों के निम्न कार्य निर्धारित किये जाय और वे तदनुसार कार्यान्वित हों:---

(क) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का चयन तथा ऋण हेतु उनके आवेदन पत्रों को एकत्रित करने तथा
बैंकों से दिलवाने के लिये फील्ड कर्मचारियों के लक्ष्य का निर्धारण किया जाये।

(ख) क्षेत्र विकास अधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारी बैंकों से ऋण स्वीकृत करने में बैंकों से
सम्पर्क करें व उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें।

(ग) ऋण स्वीकृत कराने तथा अंशदान/मार्जिन मनी स्वीकृत कराने और वितरण का समयबद्ध
कार्यक्रम बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कराया जाय।

(घ) जिलाधिकारी उपरोक्त कार्य की समीक्षा नियमित रूप से करें तथा उस समीक्षा की आख्या उत्तर
प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को भी भेजें, ताकि उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही
सम्भव हो सके।

11---प्रान्त में 38 विकास खंड ऐसे बताये गये हैं जिनमें हरिजनों की जनसंख्या समस्त जनसंख्या के अनुपात में
लगभग 40 प्रतिशत या उससे ऊपर बतायी गई। इन विकास खण्डों की सूची संलग्नक--2 के रूप में भेजी जा रही है। जिन
जनपदों में इस सूची में से कोई विकास खंड नहीं है वे भी कृपया अपने जिले के अन्दर एक हरिजन बाहुल्य विकास खण्ड
का चयन कर लें ताकि क्षेत्र विशेष में हरिजनों के सर्वांगीण विकास की योजना के कार्य को चलाया जा सके। आपको
स्मरण होगा कि मई 1980 में मलिहाबाद विकास खंड में इस प्रकार की परियोजना के प्रथम चरण का शुभारम्भ 3
चुने हुए गांवों के सघन परिवार सर्वेक्षण के साथ महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया था। उसी के अनुरूप
संलग्नक -2 में इंगित विकास खण्डों में भी 3--3 चयनित गांवों का सघन परिवार सर्वेक्षण कर परियोजनाओं का शुभारम्भ
आगामी गांधी जयन्ती, 2 अक्टूबर, 1980 से किया जाना प्रस्तावित है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया तथा परियोजना निर्माण
की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समस्त मण्डलों के उप विकास आयुक्तों को दिनांक 11 सितम्बर, 1980 को अवगत करा दिया
गया है ताकि वे तदनुसार अपने मंडल के सभी जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
परियोजना को अवगत करा सकें तथा चयनित 3--3 गांव के सर्वेक्षण को 2 अक्टूबर से पहले पहल पूरा कर लें। इसी उद्देश्य
से लखनऊ में दिनांक 21--22 तथा 27--28 को 2--2 दिन के वर्कशाप, बख्शी का तालाब प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित
किये जा रहे हैं, जिसकी व्यवस्था अलग से की जा रही है। 21--22 सितम्बर की वर्कशाप में 38 चयनित विकास खण्डों के
क्षेत्र विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा सघन सर्वेक्षण के लिये 3 चयनित ग्रामों से सम्बद्ध
एक-एक ग्राम सेवक को प्रशिक्षित किया जायेगा। 27--28 सितम्बर की वर्कशाप को निगम के जिला प्रबन्धकों एवं
सहायक प्रबन्धकों के लिये आयोजित किया गया है।

आपसे निवेदन है कि कृपया आगामी गांधी जयन्ती से अपने जनपद में विशेष कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन
तथा चयनित विकास खंडों में चयनित 3-3 ग्रामों में सघन कार्यक्रम के शुभारम्भ की व्यवस्था निश्चित करें।

भवदीय,
रामबहादुर सक्सेना
मुख्य सचिव।

संख्या 4486(1)/विकास-1--80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

1---समस्त सचिव/विशेष सचिव/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के राज्य स्तरीय लक्ष्यों को मंडलवार/जिलेवार फांट करने की कार्यवाही को तुरन्त सम्पन्न कर अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित करें। गांधी जयन्ती से प्रस्तावित कार्यक्रमों के शुभारम्भ की व्यवस्था भी करें।

2---समस्त मंडलायुक्त।

3---समस्त उप विकास आयुक्तों को 10 अतिरिक्त प्रतियां विकास विभागों के समस्त मंडल स्तरीय अधिकारियों के उपयोग के लिए।

4---मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना), जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक को 10 अतिरिक्त प्रतियां विकास विभागों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को वितरण के लिए।

आज्ञा से,
जगदीश चन्द्र पंत
सचिव।